संख्या– 1359 /II–2004–03–(01)/2003

प्रेषक,

टीकम सिंह पवार,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 22 अप्रैल, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष–2004–05 हेतु लेखानुदान के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन के पत्र सं0–240/वि0अनु0–1/2004 दिनांक 27.03.204 एवं आपके पत्र सं0 1081/मु0अ0वि0/बजट/बी–1/सामान्य दिनांक 05.04.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में रूपये 1309.94 लाख (रूपये तेरह करोड़ नौ लाख चौरानवें हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय एवं केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाये जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है धनराशि के अनयत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगें। खण्डवार/जनपदवार/कार्यवार फांट की सूचना शासन को भी उपलब्ध कराई जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः.....2

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया, स्टोर पर्चेज रूल्स वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–।। लेखा नियम–1, आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– जहाँ आवश्यक हो, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये, तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– इस धनराशि का आहरण दो किस्तों में किया जायेगा। द्वितीय किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब प्रथम किस्त के द्वारा स्वीकृत धनराशि का 80प्रतिशत तक उपयोग कर लिया गया हो। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत तक की धनराशि के उपयोग के उपरान्त तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्यो की गुणवता एवं समय बद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– स्वीकृत धनराशि से कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को 31.03.2005 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः–3–

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–55/वि0 अनु0–3/2004 दिनांक 19, अप्रैल 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

संख्या–1359/II–2004–03–(01)/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3), उत्तरांचल शासन।
3– समस्त कोषाधिकारी,, उत्तरांचल।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
5– मा0 मंत्री सिंचाई मंत्री, उत्तरांचल के निजी सचिव, को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6– नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नकः–यथोक्त।

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–1359/II–2004–03–(01)/2003का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 सं0 | लेखा शीर्षक | लेखानुदान में प्राविधान | प्रस्तावित आवंटन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई | | |
| | 03–मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक | | |
| | 306–तुमरिया योजना | | |
| | 03–अनुरक्षण | | |
| | 29–अनुरक्षण | 68.67 | 68.67 |
| | 04–विशेष मरम्मत | | |
| | 29–अनुरक्षण | 23.00 | 23.00 |
| | योग– | **91.67** | **91.67** |
| 2 | 320–दून नहरों एवं तराई भावर की नहरें | | |
| | 03–अनुरक्षण कार्य | | |
| | 29–अनुरक्षण | 67.33 | 67.33 |
| | 04–विशेष मरम्मत (देहरादून स्थित कालोनी का रू 4.00लाख सहित) | | |
| | 29–अनुरक्षण | 22.67 | 22.67 |
| | योग–320 | **90.00** | **90.00** |
| 3 | 324–हरिपुरा/बौर बाँध व नहरें | | |
| | 03–अनुरक्षण कार्य | | |
| | 29–अनुरक्षण | 56.33 | 56.33 |
| | 04–विशेष मरम्मत | | |
| | 29–अनुरक्षण | 16.67 | 16.67 |
| | योग– | **73.00** | **73.00** |
| 4 | 341–अन्य सिंचाई योजनायें | | |
| | 03–अनुरक्षण कार्य | | |
| | 29–अनुरक्षण | 53.33 | 53.33 |
| | 05–विशेष मरम्मत | | |
| | 29–अनुरक्षण | 17.67 | 17.67 |
| | योग– | **71.00** | **71.00** |
| 5 | 04–मध्यम सिंचाई (अवाणिज्यिक) | | |
| | 402–परिकल्प संस्थान रूड़की | | |
| | 03–अनुरक्षण कार्य | | |
| | 29–अनुरक्षण | 10.00 | 10.00 |
| | योग– | **10.00** | **10.00** |
| 6 | 80–सामान्य | | |
| | 052–मशीनरी तथा उपस्कर | | |
| | 03–नवीन सम्पूर्ति | | |
| | 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र | 0.37 | 0.37 |
| | 04–मरम्त | | |

| क्र0 सं0 | लेखा शीर्षक | लेखानुदान में प्राविधान | प्रस्तावित आवंटन |
|---|---|---|---|
| | 26–मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयत्र | 0.22 | 0.22 |
| | योग–052 | 0.59 | 0.59 |
| 7 | 800–अन्य व्यय | | |
| | 05–प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि | | |
| | 29–अनुरक्षण | 10.00 | 10.00 |
| | 31–सामग्री और सम्पूर्ति | 33.33 | 33.33 |
| | 07–मोटर गाड़ियों हेतु पेट्रोल आदि का क्रय | | |
| | 15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 1.67 | 1.67 |
| | योग–800 | 45.00 | 45.00 |
| | योग–2701 | 381.26 | 381.26 |
| 8 | 2702–लघु सिंचाई | | |
| | 01– सतही जल | | |
| | 101–जल टंकी | | |
| | 03–तालाब | | |
| | 0301–अनुरक्षण कार्य | | |
| | 29–अनुरक्षण | 266.67 | 266.67 |
| | योग–101 | 266.67 | 266.67 |
| 9 | 102–लिफ्ट सिंचाई योजनायें | | |
| | 03–अनुरक्षण कार्य | | |
| | 09–विद्युत देय | 116.67 | 116.67 |
| | 29–अनुरक्षण | 32.00 | 32.00 |
| | योग–102 | 148.67 | 148.67 |
| 10 | 103–नलकूप | | |
| | 03–अनुरक्षण कार्य | | |
| | 09–विद्युत देय | 250.00 | 250.00 |
| | 29–अनुरक्षण | 166.67 | 166.67 |
| | योग– | 416.67 | 416.67 |
| | योग–2702 | 832.01 | 832.01 |
| 11 | 2711–बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास | | |
| | 01–बाढ़ नियन्त्रण | | |
| | 103–सिविल निर्माण कार्य | | |
| | 03–सिविल निर्माण कार्य | | |
| | 29–अनुरक्षण | 96.67 | 96.67 |
| | योग–2711 | 96.67 | 96.67 |
| | योग–2711 | 96.67 | 96.67 |
| | योग राजस्व लेखा | 1309.94 | 1309.94 |

(रूपय तेरह करोड़ नौ लाख चौरानवे हजार मात्र)

( टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

Nic
173